

निदेशालय, विकलांग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ

पत्रांक: 003-301 पी

दिनांक: 08 मई, 2014

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी  
लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद ।

विषय: अनुदान संख्या:79 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक:2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण आयोजनागत पक्ष में बजट आवंटन ।

चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या: 79 के लेखाशीर्षक: 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02- समाज कल्याण- आयोजनागत-101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-14-विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों का संचालन में कुल रू० 1,07,04,000/- (रूपये एक करोड़ सात लाख चार हजार मात्र) की धनराशि संलग्न तालिकानुसार आपके जनपद में स्थित विद्यालयों हेतु एतद्वारा आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है।

1. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
2. प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पूर्ववर्ती माह में कोषागार से आहरित धनराशि का व्यय विवरण दो प्रतियों में बी०एम०-8 निर्धारित प्रपत्र पर एवं कोषागार डी०डी०ओ०रिकन्सीलेशन शीट अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें इस सम्बन्ध में अलग से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक भी वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन रोकने के आदेश निर्गत कर दिये जायेगे।
3. यह ध्यान रखा जाये कि धनराशियों का आवंटन ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। नियमों में जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, व्यय करने से पहले शासन/विभागाध्यक्ष/सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये। किसी भी दशा में आवंटन से अधिक व्यय न किया जाये।
4. आवंटित धनराशि में से समय-समय पर उतनी ही धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाये जितनी तत्काल भुगतान किये जाने हेतु आवश्यक हो। कोई भी धनराशि आहरित करके बैंक अथवा पी०एल०ए० में न रखी जाये। जिन मदों में धनराशि आवंटित की गयी है उन्हीं मदों में नियमानुसार फाइनेन्शियल हैण्डबुक/बजट मैनुअल एवं प्रचलित शासनादेशों के अनुसार व्यय की जाये।
5. उपर्युक्त आवंटन निदेशालय के बजट नियन्त्रण पंजिका के पृष्ठ संख्या 28 पर प्रविष्ट है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सागर)  
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:

- 1- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य, स्पर्श बालक/बालिका विद्यालय लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ।
3. अधीक्षिका, उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं/बालकों का छात्रावास, लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद
4. संकेत विद्यालय लखनऊ
5. उपनिदेशक विभागीय संस्थायें।

  
(के०एन०सिंह)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

## विकलांग कल्याण निदेशालय

आवंटन आदेश संख्या: 003-301P -

आवंटन तिथि: 08/05/2014

अनुदान संख्या: 79 - समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) (वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक: 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

14 - विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये राजकीय विद्यालय छात्रावासों का संचालन

आयोजनागत  
(धनराशि रू. में)

अधिकारी / जनपद	01-वेतन	02-मजदूरी	03-मंहगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छापाई	21-छात्रवृत्तियां और छात्रवैतन	योग
04-मेरठ-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --राजकीय स्पर्श बालक वि०	1020000	250000	1000000	4000	50000	10000	150000	5000	300000	2789000
04-मेरठ-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --उच्च शिक्षा हेतु बालकों का छात्रावास	0	128000	0	0	0	5000	75000	4000	0	212000
22-इलाहाबाद-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --उच्च शिक्षा हेतु बालिकाओं का छात्रावास	85000	140000	85000	2000	110000	5000	75000	4000	0	506000
32-गोरखपुर-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --राजकीय स्पर्श बालिका वि०	1300000	300000	1300000	4000	90000	20000	200000	8000	400000	3622000
32-गोरखपुर-4687-जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, --उच्च शिक्षा हेतु बालकों का छात्रावास	0	320000	0	0	0	5000	75000	4000	0	404000

